तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते कुर्रेजात दिनांक 12/11/2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
12/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली वास्ते कुर्रेजात दिनांक 17/12/2025 को पेश हो। [signature] उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई
17/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली वास्ते कुर्रेजात दिनांक 8/1/26 को पेश हो। [signature] उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई
	8/1/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० कुर्रेजात पर आपत्ति पेश नहीं हुई। बमूजब कुर्रेजात [illegible] [illegible] कायम रखा जाकर [illegible] कुर्रेजात अनुसार [illegible] [illegible] दर्ज किया जाना है। [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] 8/1/26 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायाल उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बाँदीकुई मुकाम–बाँदीकुई
जज इजलास– रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी बाँदीकुई मुकाम–बाँदीकुई
उनवान– धीरेन्द्रसिंह बनाम नरेन्द्रसिंह
दावा बाबत– तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
मु.न. 48/2024

अतः आदेश है कि खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 31 पुराना 31 के खसरा नम्बर 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 258/403, 258/404, 259, 260, 261, 262, 292, 293, 294, 295, 296, 339, 348 कुल किता 26 कुल रकबा 8.7700 है0 वाके ग्राम कठानाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा वाद वादी तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 9649 दिनांक 17.10.2025 से प्राप्त कुर्रेजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री स्वीकार किया जाता है। कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार बाँदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में आयी भूमि पर किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निज..............................मुवलिग...बाबत............
..............................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 01 सन् 2026 को जारी की गई।

8/1/26

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत............ 8/1/26
ओहदा..............................

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

मु. न. 48 / 2024
दर्ज दिनांक 05.04.2024
निर्णय दिनांक 08.01.2026

उनवान

1. धीरेन्द्र पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी कठानाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

–वादी

बनाम

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह
2. मुन्नी देवी पत्नि देवीसिंह
3. माया देवी पत्नि भागीरथसिंह
4. राजकुमारसिंह पुत्र देवीसिंह
5. विरेन्द्रसिंह पुत्र भागीरथसिंह
6. शिम्भूसिंह पुत्र देवीसिंह
7. सुनिलसिंह पुत्र देवीसिंह
8. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भागीरथसिंह

} जाति राजपूत निवासी कठानाडी तहसील बांदीकुई

9. तहसीलदार तहसील बांदीकुई
10. शाखा प्रबन्धक यूकों बैंक शाखा बडियाल कलां
11. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा शाखा बांदीकुई।

–प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा जरिये वकील श्री गोपाल बंधु के द्वारा पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः– वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 31 पुराना 31 के खसरा नम्बर 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 258 / 403, 258 / 404, 259, 260, 261, 262, 292, 293, 294, 295, 296, 339, 348 कुल किता 26 कुल रकबा 8.7700 है0 वाके ग्राम कठानाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। जिसका पक्षकारान के मध्य आज दिन तक विधिवत रूप से सरस–नरस तकास्मा नहीं हुआ है व पक्षकारान अपनी–अपनी मनसमाई से अपने–अपने हिस्से की भूमि बांटकर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 6, 7 के मन में बदयान्ति आ गयी है और वे भूमि उपरोक्त का बिना विधिवत तकास्मा कराये ही भूमि में खाम व पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। भूमि किसी भी दीगर सख्स को रहनबय व हस्तान्तरित करने पर

Scanned with OKEN Scanner

यालय उपजिला कलेक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

. 48/2024
दिनांक 05.04.2024
दिनांक 08.01.2026

उनवान

धीरेन्द्र पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी कठानाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

—वादी

बनाम

रेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह
न्नी देवी पत्नि देवीसिंह
या देवी पत्नि भागीरथसिंह
जकुमारसिंह पुत्र देवीसिंह
रेन्द्रसिंह पुत्र भागीरथसिंह
भूसिंह पुत्र देवीसिंह
लसिंह पुत्र देवीसिंह
द्रसिंह पुत्र भागीरथसिंह
} जाति राजपूत निवासी कठानाडी तहसील बांदीकुई

लदार तहसील बांदीकुई
प्रबन्धक यूकों बैंक शाखा बडियाल कलां
प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा शाखा बांदीकुई।

—प्रतिवादीगण

<u>दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ो द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा जरिये
बंधु के द्वारा पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—
ण संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि
1 पुराना 31 के खसरा नम्बर 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
, 257, 258, 258/403, 258/404, 259, 260, 261, 262, 292, 293,
, 348 कुल किता 26 कुल रकबा 8.7700 है0 वाके ग्राम क
ला दौसा में स्थित है। जिसका पक्षकारान के
—नरस तकास्मा नहीं हुआ है व पक्षकारा
भूमि बांटकर काबिज होकर काश्त
ा 1, 2, 4, 6, 7 के मन में
धिवत तकास्मा कराये ही
मि किसी भी दीगर

आमादा हो रहे है। बिना विधिवत तकास्मा पक्षकारान के मध्य हुये बिना किसी भी सहखातेदार की भूमि पर न तो खाम व पुख्ता निर्माण करने का अधिकार होता है और ना ही भूमि उक्त को किसी भी दीगर सख्स को किसी भी तरीके से रहन बय व हस्तान्तरित करने का अधिकार होता है। दिनांक 29.03.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 6, 7 मौके पर अत्यधिक मात्रा में निर्माण सामग्री गिरवा दी और मजदूर व मिस्त्रियों को लाकर निर्माण करवाने हेतु बातचीत करने लगे तो वादी ने प्रतिवादीगण उपरोक्त से कहा कि अभी हाल भूमि मुतदाविया का सरस नरस तकास्मा नहीं हुआ है और बिना तकास्मा भूमि उक्त पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार होगा। पहले तहसील में चलकर भूमि मुतदाविया का सरस–नरस तकास्मा करवा लो तो उपरोक्त प्रतिवादी ने भूमि मुतदाविया का सरस–नरस तकास्मा करवाने से साफ इन्कार कर दिया और एलानियां कहा कि हम तो उपरोक्त भूमि का कोई तकास्मा नहीं करवायेगें और बिना तकास्मा हुये ही उसमें पुख्ता निर्माण करके रहेगें। तथा भूमि उक्त को बिना तकास्मा कराये ही किसी भी दीगर सख्स को किसी भी तरीके से रहन बय व हस्तान्तरित करके रहेगें। अतः दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर तलबी प्रतिवादीगण विधिवत रूप से की गयी। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.01.2025 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की जाकर तहसीलदार बांदीकुई को कुर्रेजात भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक 9649 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा न्यायालय हाजा में कुर्रेजात भिजवाये गये। प्रतिवादीगण अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कुर्रेजात पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। वादी द्वारा वाद की अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 9649 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा प्राप्त कुर्रेजात पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर वादी दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुर्रेजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

प्रस्तावित प्रविष्टि	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
1. धीरेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह	251	0.01	गै.मु.झेरा		
हिस्सा 1/4 राहिन बैंक ऑफ	246	0.42	जाव 1		
बडौदा बांदीकुई।	248	0.60	जाव 1		
2. मायादेवी पत्नी भागीरथ सिंह	256	0.14	जाव 1		
हिस्सा 1/4 राहिन यूको बैंक	259	0.51	चाही 1		
शाखा बडियालकलां	260	0.43	चाही 1		
3. विरेन्द्रसिंह पुत्र भागीरथ सिंह	261	0.13	जाव 1		
हिस्सा 1/4 राहिन बैंक ऑफ	250	0.56656	चाही 1		
बडौदा शाखा बांदीकुई	296	0.4228	जाव 1		
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह	294	0.2584	जाव 1		
हिस्सा 1/4 राहिन यूको बैंक	292	0.3014	वा.ए		
शाखा बडियालकलां जाति सभी	348	0.3650	वा.ए		

Scanned with OKEN Scanner

राजपूत सा. देह खातेदार	**किता 12**	**4.1232**	—		
1. नरेन्द्र सिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत सा. देह 2. मुन्नीदेवी पत्नी देवीसिंह हिस्सा 1/5 राहिन एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा बांदीकुई 3. राजकुमार सिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/5 राहिन एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा बांदीकुई 4. शिम्भूसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/5 राहिन एसबीआई शाखा बांदीकुई 5. सुनिलसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/5 राहिन एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा बांदीकुई सभा जाति राजपूत सा.देह खातेदार	247 249 253 254 257 258 262 293 258/403 295 मि. 258/404मि. 250 मि. 292 मि. 348 मि.	0.57 0.42 0.48 0.08 0.16 0.42 0.50 0.32 0.03 0.4152 0.0272 0.00344 0.3014 0.3650	जाव 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 चाही 1 बा.ए बा.ए		
	किता 14	**4.1232**	—		
शामलाती भूमि के खसरा नम्बर हिस्से जमाबंदी अनुसार	252 255 339	0.03 0.22 0.08	गै.मु. चाह जाव 1 बा.ए		
	कुल किता 3	**0.3300**	—		
प्रस्तावित– रास्ते हेतु शामलाती भूमि के ख0नं0 हिस्से जमाबंदी अनुसार	292 294 295 296 258 258/404	0.0472 0.0416 0.0248 0.0172 0.0600 0.0028	गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता		
	कुल किता 6	**0.1936**	—		

कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की

Scanned with OKEN Scanner

मजाहमत न करे। पर्चा डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 08.01.2026 को लिखा व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। निर्णय सुनाया गया।

08/1/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner